उद्यान विभाग

चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
(Established by Parliament Act -16 of 1970)

प्रायोगिक उद्यान की फलदार नर्सरी हेतु नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में उद्यान विभाग के अनुसंधान क्षेत्र में फलदार–नर्सरी की वर्ष 2025–26, 2026–27 एवं 2027–28 (21.8.2025 से 30.8.2028) के लिये सीलबन्द निविदा बोली की जांच दिनांक 20.8.2025 को प्रातः 10.30 बजे की जाएगी और सीलबन्द निविदा बोली 19.8.2025 तक आमन्त्रित की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति या पार्टी किसी भी कार्य दिवस में 9.00 से 4.30 बजे तक निविदा बोली फार्म को विभागाध्यक्ष, उद्यान विभाग के कार्यालय से ले सकते हैं एवं मौके पर आकर नर्सरी का निरीक्षण भी कर सकते हैं। निविदा बोली के साथ 1,00,000/– रूपये की धरोहर राशि Prof. & Head, Department of Horticulture, CCSHAU, Hisar के नाम ड्रॉफ्ट के रूप में संलग्न करनी होगी। बिना धरोहर राशि की निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। तकनीकी एवं वित्तिय निविदा बोली (Technical and Financial bid) अलग–अलग बंद लिफाफों में स्वीकार की जाएगी। असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि, सीलबंद निविदा बोली समिति द्वारा जांच के उपरान्त वापिस कर दी जाएगी। ठेकदार को नर्सरी प्रबंधन का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभव का प्रमाण प्रत्र इच्छुक बोलीदाता को सीलबंद निविदा बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। कमेटी को निविदा बोली को मानने, नैगोशिएशन करने व रद्द करने का पूरा अधिकार होगा। नीलामी की बाकी शर्तें विश्वविद्यालय की वैबसाईट www.hau.ac.in पर देख सकते हैं।

28/7/2025

विभागाध्यक्ष, उद्यान विभाग
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।
दूरभाष : 01662–255212

उद्यान विभाग

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कषि विश्वविद्यालय हिसार

फलदार पौधों की नर्सरी के लिए नियम व शर्तें

1. ठेकेदार को बोली में भाग लेने के लिए निविदा बोली सीलबंद लिफाफे में धरोहर राशि (1,00,000/- रुपए) डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, उद्यान विभाग, चौ.च.सिं. ह.कृ.वि. हिसार के कार्यालय में जमा करवानी होगी । डिमांड ड्राफ्ट **प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, उद्यान विभाग, चौ.च.सिं. ह.कृ.वि. हिसार** के पक्ष में बनवाना होगा। अनुबंध के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ही यह धरोहर राशि वापिस की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सीलबंद निविदा बोली प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात भाग लेने वाले अन्य बोलीदाताओं के डिमांड ड्राफ्ट वापिस कर दिए जाएंगे।

2. ठेकेदार को नर्सरी का ठेका मिलने के दस दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र में 100/- रुपए के बांड पेपर पर अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। ऐसा न करने पर अनुबंध अमान्य हो जाएगा और धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

3. ठेकेदार यह भी प्रमाणित करेगा कि उसके परिवार का कोई अन्य सदस्य इस ठेके के लिए निविदा बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा।

4. ठेकेदार को विभिन्न श्रम कानूनों जैसे श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ई.एस.आई. व भविष्य निधि अधिनियम तथा इस मामले में लागू अन्य कानूनों के तहत निर्धारित सभी कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन करना होगा।

5. ठेकेदार फलों के पेड़ों की नर्सरी बनाए रखेगा और उसे फलों की विभिन्न प्रजातियों के विभाग द्वारा प्रदान की गई सूची के अनुसार पहले वर्ष में 40,000 पौधे, दूसरे वर्ष में 60,000 पौधे और तीसरे वर्ष में 80,000 पौधे तैयार करने होंगे। पहले वर्ष के दौरान, उसे अमरूद (25000), नींबू (4000), बेर (1000), बेलगिरी (1000), अनार (1000), आड़ू (1500), आलूबुखारा व नाशपाती (1000), जामुन (1000), आंवला (1500) और आम, फालसा, करोंदा, पपीता, अंगूर, आदि के 3000 पौधे तैयार करने होंगे, इस तरह क्रमशः दूसरे और तीसरे वर्ष के दौरान पौधों की संख्या में आनुपातिक वृद्धि के साथ ठेकदार द्वारा फलों के पौधे तैयार किये जायेंगे। विभिन्न फल फसलों के लिए पौधों की संख्या में मामूली अंतर हो सकता है, लेकिन कुल न्यूनतम आवश्यकता के लिए ऊपर वर्णित पौधे प्रति वर्ष की संख्या के अनुसार तैयार करने होंगे।

6. नर्सरी हेतु सभी आवश्यक सामग्री व श्रमजीवी ठेकेदार द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

7. ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि नर्सरी में तैयार पौधे स्वस्थ तथा रोग व कीटों से मुक्त हों। निर्धारित समिति द्वारा इनकी गुणवत्ता संतुष्टि विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री बेची जाएगी।

8. ठेकेदार को पौधों की किसी भी बिक्री के लिए अधिकृत नहीं किया जाएगा और तैयार पौधों को विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा अनुमोदित दरों पर बेचा जाएगा।

9. नर्सरी में पौधों को तैयार करने का कार्य राजस्व साझाकरण नीति के तहत पूरा किया जाएगा। जो बोलीदाता विश्वविद्यालय को अधिकतम हिस्सा (न्यूनतम 40 प्रतिशत) देगा, उसे समिति द्वारा अनुबंध देने पर विचार किया जाएगा। नर्सरी में पौधों की बिक्री से प्राप्त पूरी राशि पहले विश्वविद्यालय के खाते में जमा की जाएगी। इसके बाद, ठेकेदार अपने हिस्से का दावा करने के लिए बिल प्रस्तुत करेगा।

10. यदि ठेकेदार क्रम संख्या 5 में उल्लिखित न्यूनतम संख्या अनुसार आवश्यक पौधे तैयार नहीं करता है, तो ठेकेदार पर विभिन्न वर्षों के लिए ऊपरलिखित पौधों की अपर्याप्त संख्या के लिए 20 रुपये प्रति पौधा की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।

11. श्रमिक या ठेकेदार द्वारा पेड़ों व विश्वविद्यालय की संपत्ति को किसी भी तरह की क्षति पहुंचाने पर भी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित जुर्माना वसूला जाएगा।

12. विश्वविद्यालय पर्यवेक्षण का अधिकार सुरक्षित रखता है। नर्सरी के कुप्रबंधन की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन बिना कोई कारण बताए अनुबंध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी और ठेकेदार को काली सूची में भी डाल दिया जाएगा। विश्वविद्यालय को किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई करने के लिए भी वह उत्तरदायी होगा।

13. वर्तमान में लागू कानूनों के अनुसार श्रमिक को चोट, जीवन या अंग की हानि होने पर मुआवजा देना ठेकेदार की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। विश्वविद्यालय किसी भी तरह से ऐसे नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

14. ठेकेदार को विभिन्न फलों की फसलों के लिए अनुशंसित मूलवृन्त को तैयार करना होगा और यदि इसे असाधारण परिस्थितियों में बाहरी स्रोत से खरीदा जाता है, तो वह नर्सरी प्रभारी को यह सुनिश्चित करेगा कि रोपण सामग्री अच्छी गुणवत्ता वाली तथा रोगमुक्त व कीट मुक्त है।

15. मिट्टी जनित रोगों से बचने के लिए नर्सरी को उचित माध्यम में उगाना होगा।

16. नर्सरी में फसल चक्र का अनुकरण करना होगा और एक ही क्यारी के वर्ष दर वर्ष उपयोग से बचना होगा।

17. कलिकायन जमीन की सतह से 9 इंच की ऊंचाई से कम न करें।

18. कलिकायन व कलम बाँधने के लिए चाकू व करतनी/कैंची को नियमित साफ पानी से धोएं एवं सतह निस्संक्रामक से निसंक्रमित करें।

19. कलमी पौधों की ऊंचाई न्यूनतम 30 सेंटीमीटर होने पर ही इन्हें बिक्री योग्य माना जाएगा।

20. विभाग ठेकेदार को कस्सी, कसोला, दरांती, आदि कोई भी कृषि उपकरण उपलब्ध नहीं करवाएगा। उसे नर्सरी प्रभारी की संतुष्टि के अनुसार समय-समय पर कार्यस्थल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करना होगा।

21. सभी कार्यो के पर्यवेक्षण का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा दिहाड़ीदार श्रमजीवियों के आवागमन के लिए विभाग द्वारा परिवहन साधन उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।

22. इच्छुक ठेकेदार स्थल पर जाकर इस अनुबंध के लिए सीलबंद लिफाफे में निविदा बोली प्रस्तुत करने के समय अपनी दरें उद्धृत करने से पहले विभागाध्यक्ष से सम्पर्क कर सकते हैं।

23. विश्वविद्यालय अधिनियम और संविधि तथा लेखा संहिता में उद्धृत अन्य प्रावधान भी इस अनुबन्ध में लागू होंगे।

24. दोनों पक्षों के बीच किसी भी विवाद के मामले में, इसे माननीय कुलपति, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा। भारतीय मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान भी अनुबंध के तहत कार्यवाही पर लागू होंगे।

25. दोनों पक्षों में कानूनी विवाद का निपटान हिसार जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा।

26. यदि विश्वविद्यालय द्वारा ठेकेदार की सेवाएं संतोषजनक पाई जाती हैं तो दोनों पक्षों की सहमति से अनुबंध की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

27. ठेकदार को नर्सरी प्रबंधन का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। नर्सरी प्रबंधन अनुभव का प्रमाण प्रत्र सरकारी एवं मान्यता प्राप्त नर्सरी से ही होना चाहिए। अनुभव का प्रमाण प्रत्र सीलबंद निविदा बोली प्रपत्र के साथ संलग्र करना होगा।

28. ठेके की अवधि खत्म होने के बाद बचे हुए पौधों का निपटारा विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

05/8/2025

विभागाध्यक्ष

बागवानी विभाग
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
फलदार पौधों को तैयार करने हेतु नर्सरी निविदा फार्म

तकनीकी निविदा बोली (**Technical Bid**)

A. ठेकेदार का ब्यौरा			
1.	निविदा भरने वाले ठेकेदार का नाम	:	
2.	फर्म यदि कोई है, का नाम	:	
3.	ठेकेदार का पता		
	(अ) कार्यालय / मकान नं.	:	
	(ब) कालोनी / वार्ड नं.	:	
	(स) गाँव का नाम	:	
	(द) तहसील, जिला व पिन	:	
4.	संपर्क विवरण		
	(अ) मोबाइल नं.		
	(ब) इमेल पता		
5.	सरकारी या मान्यता प्राप्त नर्सरी से नर्सरी प्रबंधन अनुभव (प्रमाण पत्र न्यूतम एक वर्ष)		

अंडरटैकिंग

1— मै यह तसदीक करता हूँ कि मैने ठेके की सभी नियम व शर्तो को पढ़ लिया है और मुझे सभी नियम व शर्तो (क्रम सं. 1—28) मंजूर है।

2— मेरे परिवार के किसी अन्य सदस्य ने सीलबंद लिफाफा निविदा बोली नहीं भरी है।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

कमेटी सदस्य

1 2 3 4 5

बागवानी विभाग
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
फलदार पौधों को तैयार करने हेतु नर्सरी निविदा फार्म

वितिय निविदा बोली (**Financial Bid**)

A. ठेकेदार का ब्यौरा			
1.	निविदा भरने वाले ठेकेदार का नाम	:	
2.	फर्म यदि कोई है, का नाम	:	
3.	ठेकेदार का पता		
	(अ) कार्यालय / मकान नं.	:	
	(ब) कालोनी / वार्ड नं.	:	
	(स) गाँव का नाम	:	
	(द) तहसील, जिला व पिन	:	
4.	संपर्क विवरण		
	(अ) मोबाइल नं.		
	(ब) इमेल पता		

B. ठेकेदार द्वारा दी गई निविदा बोली का विवरण			
1.	न्यूनतम फलदार पौधों को तैयार करने की सीमा प्रथम वर्षः 40000 द्वितीय वर्षः 60000 तृतीय वर्षः 80000	:	प्रथम वर्षः .... द्वितीय वर्षः .... तृतीय वर्षः ....
2.	विश्वविद्यालय का राजस्व में अधिकतम हिस्सा (न्यूनतम 40 प्रतिशत)	:	ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत विश्वविद्यालय राजस्व का हिस्साः

ठेकेदार के हस्ताक्षर

कमेटी सदस्य

1   2   3   4   5